MPRDC

MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LT

(Govt. of M.P. Undertaking)
CIN : U45203MP2004SGC016758
Darbar Singh Gohel, Silver Hills Colony, Opp, Maharana Pratap Statue
Indore Road, Dhar (M.P.) 454001 Tel. 07292-297062 Email : dmindore2@gmail.com

पत्र क्र. 123 /एम.पी.आर.डी.सी/धार/ए.डी.बी – 6/2023, धार, दिनांक 20/05/2023

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
सामान्य, वनमंडल
धार (म.प्र.)

विषय– धार जिले में एडीबी–6 योजनांतर्गत टाण्डा–बलवारी मार्ग के निर्माण हेतु 0.9884 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, धार को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भः–

1. आपका पत्र क्र. धार का पत्र क्र. मा.चि./2023/990, अलीराजपुर दिनांक 22/02/2023
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र 6-MPB 030/2022 - BHO दिनांक 13/02/2023.

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्रों के तारतम्य में लेख है कि म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत, धार जिले में शासन की एडीबी–6 परियोजना अंतर्गत टाण्डा–बलवारी मार्ग के निर्माण हेतु 0.9884 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन का ऑनलाईन प्रस्ताव लगाया गया था। जिसमें में संदर्भित पत्र क्र. 1 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गईहै। जिसमें अधीरोपित शर्तो का विवरण एवं पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

क्र	शर्तो का विवरण	परिपालन की स्थिति
A	Conditions which need to be complied prior with handing over of forest land by the State Forest Department.	
1.	The cost of compensatory afforestation on the CA land 0.9884 ha Non-Forest Land (out of 5.145 ha NFL consolidated CA land) at the prevailing wages rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रकरण में वन विभाग द्वारा मांग की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रु. 38,50,000/– कैम्पा मद में जमा कर दी गई है। जिसका UTR No. HDFCR52023032493060849 है।
2.	Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.	वन विभाग के पक्ष में किये गये नामांतरण का अभिलेख संलग्न है। परिशिष्ट –01

Scanned with CamScanner

3.	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest or Protected Forest under the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. Copy of notification shall be sent in Stage-I compliance report.	वन विभाग से संबंधित है।
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.9884 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in WP (C) No.202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009, 5-3-2011-FC(Vol-I) dated 06.01.2022 in this regard.	प्रकरण में वन विभाग द्वारा मांग की गई NPV कीराशि रू. 9,46,670/–कैम्पा मद में जमा कर दी गई है। जिसका UTR No. HDFCR52023032493060849 है।
5.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred /deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in)	इस शर्त के पालन में सभी राशियां वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करा दी गई है।
6.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रस्ताव के साथ एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र लगाया गया है। परिशिष्ट –02
7.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chaper 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	शर्त मान्य है।
8.	The Compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	इस शर्त के पालन में पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
9.	In case the State Forest Department issues working permission, a copy of the same shall be submitted to this office.	वन विभाग से संबंधित है।

Scanned with CamScanner

B	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over the forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval.	
(1)	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त मान्य है।
(2)	Compensatory afforestation shall be taken up the Forest Department over 0.9884 ha non-forest land at Khasra No. 553/1, village-Moyakheda, Tehsil – Sardarpur, District Dhar at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted. And monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	वन विभाग से संबंधित है।
(3)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	यह शर्त मान्य है। इस शर्त के पालन में वचन पत्र संलग्न है।
(4)	User Agency shall minimum the number of trees to be felled subject to a maximum of 138 in the diverted forest land and they shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and the State Forest Department shall undertake the felling of trees.	शर्त मान्य है।
(5)	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	शर्त मान्य है।
(6)	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त मान्य है।

Scanned with CamScanner

(7)	The User Agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	उपरोक्त मार्ग राज्य राजमार्ग (SH) है, जिसमें Central Verg ही होता है। मार्ग निर्माण के पश्चात वन विभाग के निर्देशानुसार शासकीय भूमि, पंचायत भवन, स्कूल, छात्रावास एवं स्वास्थ्य केन्द्र आदिमें वृक्षारोपण कार्य कराया जावेगा।
(8)	Speed regulating signages shall be erected all along the road at regular intervals in the forest area.	शर्त मान्य है।
(9)	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त मान्य है।
(10)	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest.	शर्त मान्य है।
(11)	No additional or new path shall be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	शर्त मान्य है।
(12)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	शर्त मान्य है।
(13)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त मान्य है।
(14)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.	शर्त मान्य है।
(15)	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulation, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time in force, as applicable to the project.	आवश्यक नहीं।

Scanned with CamScanner

(16)	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त मान्य है।

उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन कर दिया गया है। कृपया प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति एवं कार्य करने की अनुमति देने का कष्ट करें।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र:—उपरोक्तानुसार ।

O/c

for संभागीय प्रबंधक
म.प्र.सड़क विकास निगम
इंदौर—2, धार (म.प्र.)

पृ. क्र. 124 /एम.पी.आर.डी.सी./धार/ए.डी.वी. /2023. धार, दिनांक 20/04/2023

प्रतिलिपि:—

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता (ए.डी.वी. —6/7) म.प्र.सड़क विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ,म.प्र.सड़क विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

O/c

for संभागीय प्रबंधक
म.प्र.सड़क विकास निगम
इंदौर—2, धार (म.प्र.)

D:\Letter New Shortcut\Tanishak datti \English Letter

Scanned with CamScanner

न्यायालय कलेक्टर जिला धार (म. प्र.)

क्र. /

धार, दि......................

RCMS क्रमांक 0091 / अ–20(3) / 2021–22

संभागीय प्रबंधक,
म.प्र.सडक विकास निगम लिमिटेड इन्दौर – 2 धार ....आवेदक

::आदेश::

(दिनांक 3/1/22..... को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सडक विकास निगम लिमिटेड इन्दौर – 2 धार के द्वारा म.प्र. नजूल भूमि निर्वतन निर्देश-2020 के भाग–एक (राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि हस्तांतरण) में भूमि आवंटन की कंडिका 11 के अंतर्गत जिला धार स्थित वर्तमान प्रमुख जिला सडक के उन्नयन कार्य में लगभग 5.145 हैक्टेयर ली जा रही वन भूमि के बदले ग्राम गुनानपुरा तहसील सरदरपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 30 क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने बाबत् आवेदन-पत्र आर.सी.एम.एस पोर्टल पर दिनांक 10 / 03 / 2021 को प्रस्तुत किया गया। न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक RCMS क्रमांक 0023 / अ–20(1) / 2020- 21 एवं RCMS क्रमांक 0002 / अ–20(3) / 2021–22 में पारित आदेश दिनांक 09 / 10 / 2021 से ग्राम गुनानपुरा तह. सरदारपुर जिला–धार स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 30 पैकि क्षेत्रफल 5.145 हेक्टेयर भूमि वर्तमान प्रमुख जिला सडक के उन्नयन कार्य में लगभग 5.145 हेक्टेयर ली जा रही वन भूमि के बदले म.प्र.शासन, वन विभाग, भोपाल द्वारा वन मण्डलाधिकारी धार को म.प्र. नजूल भूमि निर्वतन निर्देश–2020 की कंडिका 17 के तहत आवंटित की गई।

2. संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सडक विकास निगम लिमिटेड इन्दौर – 2 धार के द्वारा पत्र क्रमांक 8 / कैम्प सरदारपुर / म.प्र.स.वि.नि.लि / 2021 दिनांक 06 / 12 / 2021 से अवगत कराया गया कि अवंटित की गई ग्राम गुगानपुरा तहसील सरदरपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 30 क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर भूमि वन विभाग द्वारा लेना स्वीकार नहीं किया गया है। वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर ग्राम मोयाखेड़ा तहसीलदार सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 553 / 1 क्षेत्रफल 26.204 हैक्टेयर में से क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने हेतु अनुकुल है। जिसके अंतर्गत वन विभाग को ग्राम मोयाखेडा स्थित भूमि आवंटित किये जाने हेतु आर.सी.एम.एस पर आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप-1 में 0622860502062-APP-12142175 प्रस्तुत किया गया।

3 प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र सरदारपुर को जांच हेतु प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर के द्वारा तहसीलदार सरदारपुर से जांच कराई गई। तहसीलदार सरदारपुर के द्वारा प्रकरण में जांच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सरदारपुर की अनुशंसा आदेशिका सहित प्रेषित किया गया। तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर की अनुशंसा आदेशिका अनुसार प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। समयावधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति/आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। ग्राम मोयाखेड़ा का शामिल जोत का क्षेत्रफल 137.556 हैक्टेयर है, जिसके 2 प्रतिशत चरनोई हेतु सुरक्षित क्षेत्रफल 2.751 हैक्टेयर होना चाहिए। जबकि ग्राम में चरनोई हेतु सुरक्षित क्षेत्रफल 49.823 हैक्टेयर है। प्रश्नाधीन भूमि आवंटन से ग्राम के चरनोई हेतु सुरक्षित क्षेत्रफल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। प्रश्नाधीन भूमि छोटे–बडे झाड के जंगलों के रूप में परिभाषित नहीं है। भूमि हस्तांतरण किये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक कठिनाईयां नहीं है।

कलेक्टर
जिला धार (म.प्र.)

निरंतर 2

Scanned with CamScanner

4. जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति धार द्वारा समिति की बैठक दिनांक 30 / 12 / 2021 में ग्राम गुनानपुरा तहसील सरदरपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 30 क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर ग्राम मोयाखेड़ा तहसीलदार सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 553 / 1 क्षेत्रफल 28.264 हैक्टेयर में से क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर भूमि वन भूमि के बदले म.प्र.शासन, वन विभाग, भोपाल द्वारा वन मण्डलाधिकारी धार को आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई है। उक्त स्वीकृति कार्यवाही विवरण प्रति सहित प्रकरण पत्रिका कंडिका–16 के तहत संबंधित विभाग को भूमि हस्तांतरण कर कब्जा सौंपने का आदेश पारित करने हेतु प्रेषित किया गया।

अतः न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक RCMS क्रमांक 0023 / अ–20(1) / 20–21 एवं RCMS क्रमांक 0002 / अ–20(3) / 2021–22 में पारित आदेश दिनांक 08 / 10 / 2021 से ग्राम गुनानपुरा तह. सरदारपुर जिला–धार स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 30 पैकि क्षेत्रफल 5.145 हेक्टेयर भूमि आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है, तहसीलदार पूर्ववत राजस्व अभिलेख खाता, खसरा में म.प्र.शासन राजस्व विभाग का नाम दर्ज करें एवं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें व उक्त भूमि के स्थान पर ग्राम मोयाखेड़ा तहसीलदार सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 553 / 1 क्षेत्रफल 28.264 हैक्टेयर में से क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर भूमि वर्तमान प्रमुख जिला सड़क के उन्नयन कार्य में ली गई भूमि क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर के बदले म.प्र.शासन, वन विभाग, भोपाल द्वारा वन मण्डलाधिकारी धार को म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 की कंडिका 17 के तहत राज्य शासन का विभाग होने से बिना कर निर्धारण के म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 की कंडिका 16 के अंतर्गत विभिन्न विभाग के प्रतिवेदन, अनापत्ति एवं शर्तों के अनुरूप आवंटित की जाती है। इनका उल्लंघन होने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

3/1/22

कलेक्टर,
जिला धार (म.प्र.)

पृ.क्र. / 01 / रीडर–1 / 2021

धार, दिनांक

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. वनमंडलाधिकारी वन मंडल जिला धार की ओर भेजकर लेख है कि प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को अधिकृत कर कब्जा रसीद तहसीलदार को सौंपने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार, तहसील, सरदारपुर की ओर प्रकरण पत्रिका सहित उपरोक्तानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने व आवंटित शासकीय भूमि का कब्जा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी को सीमांकन करवाकर सौंपने एवं भू–अभिलेख कागजात खसरा में अमल–दरामद करावें, बटे नम्बर कायम करें। मूल कब्जा रसीद खसरा नक्शा की एक–एक सत्यापित प्रति प्रकरण के संलग्न की जाकर प्रकरण अविलम्ब वापिस लौटायें।
9. प्रकरण क्रमांक RCMS क्रमांक 0002 / अ–20(3) / 2021–22 के संलग्न करने हेतु।

कलेक्टर,
जिला धार (म.प्र.)

Digitally signed by Pankaj Jain
Date: 2022.01.04 19:23:08
05:30
Reason: Order Copy
Location: MADHYA PRADESH

Scanned with CamScanner

Madhya Pradesh Computrised Land Records

hatavar Khatoni Athwa Jamabandi

Format 7 (See rule 8)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajsva Sanhita (Bhu-Servekshan Tatha Bhu-Abhilekh Niyam, 2020)

Village:मोयखेड़			Halka:बोदली			Tehsil: सरदारपुर			District:धार			Year: 2022-2023		
Khata No	1. Name of hilder(s), his mother's/ father's/ husband's name and address 2. Share in holding	Id number of holder (s) (in case of joint holding Id number of each holder along with their names)	1. Survey Number/ Plot Number along with its Block Number (S) indicates for agricultural land and (P) for non-agricultural land 2. Area (in Ha/Sq. Meter)	Land use for which assessed	Assessement (in Rs.)	Exemption under section 58 A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959	Head of Land Revenue	Demand of Current Year (in Rs.)	Arrear (if any) (in Rs.)	Uptodate Interest (According to Section 143 of the Madhya Pradesh land Revenue Code, 1959) (in Rs.)	Upto date Total Demand (in Rs.)	Amount paid including details of payment (in Rs.) 1 Amount Paid 2 Perticulars of payment	Balance of dues (in Rs.)	Remarks
1	2	3		5	6		8	9	10	11	12	13	14	15
392	(शासकीय) वन विभाग पता धार मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग शासकीय		553/1/2-(S) 5.1450 हेक्टेयर	कृषि	0.00		कुल भू-राजस्व	0.00	0.00		0.00		0.00	
							पंचायत उपकर	0.00						
							शाला उपकर	0.00						
							वाणिज्य कर	0.00						
							प्रीमियम	0.00						
							शास्ति	0.00						
			कुल क्षे. 5.1450 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 0.00		योग	0.00						

Note :

1. This form is only for the information of the applicant |
2. It cannot be used as evidence In any court of law |
3. For digitally signed copy please apply through IT Center, LSK, MPOnline or online. |
4. For correction/amendment in entries, contact the concerned district/tehsil office |

(Dinesh Patidar)
Manager
M.P.R.D.C.

प्रिंट

Scanned with CamScanner

4ब्रिटिट. - 02 (2)

Form-1
(For linear projects)
(Government of India)
(office of the Collectorate Distt. Dhar)

2872

Dated 14/3/2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's etter No.11-9/98-FC dated 3rd Augest 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of vidences for having initiated and completed the process of settelment of rights under the cheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition for Forest Rights) Act. 2006 FRA for short) on the forest land proposed to be divirted for non-forest purpose,read with MOEFs etter Dated 5 th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear rojects, it is certified that 1.59 hectares of forest land propose to be diverted in favour of ivisional Managar MPRDC for Construction of Tanda to Balwari Road in Dhar District falls within irisdiction of Ghradi and Kolyabaari Village in Gandhwani Tehsils.
is further certified that.

(a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.59 Haq. of forest land proposed for diversion . A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee(s) are enclosed as annexure 1 to 4 annexure

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve reconnised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

nclose: As above

Jain 14/3/22

(Dr. Pankaj Jain)
Collector
District Dhar M.P.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रभावित होने वाली वनभूमि की नेट प्रजेण्ट वैल्यू (NPV) पुनरीक्षित होने पर अतिरिक्त देय राशि के भुगतान हेतु वचन पत्र

//वचन–पत्र शर्त क्रमांक B(3)//

धार जिले के अन्तर्गत ए.डी.बी.–6 योजना अन्तर्गत टाण्डा से बलवारी मार्ग निर्माण में प्रभावित वनभूमि 0.9884 हेक्टेयर वनभूमि की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.02.2023 की अधिरोपित शर्त क्रमांक B(3) के अनुपालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि जमा करने हेतु निर्देश प्राप्त होते हैं, विभाग जमा करने हेतु वचनवद्ध है।

संभागीय प्रबंधक,
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम
इन्दौर–2, धार, म.प्र.

Scanned with CamScanner